

न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-01, श्रीगंगानगर

द्वितीय जमानत आवेदन धारा 483 बीएनएसएस एक्ट

पीठासीन अधिकारी:-

रमेश कुमार जोशी(RJ00360)

(अतिरिक्त कार्यभार)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

Bail Application No. :- 13/2026

CIS Number :- Bail App./156/2026



CNR Number RJSG010004662026

अजय कुमार पुत्र शंकरदास उम्र 22 साल निवासी वार्ड संख्या 2, गली नंबर 02 वाल्मीकि
मोहल्ला नजदीक नागपाल नगरी मलोट, जिला मुक्तसर साहिब पंजाब

-प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

स्टेट आफ राज 0

-अप्रार्थी

द्वितीय प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483
भा.ना.सु.सं., प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 381/25 ,
आरक्षी केंद्र जवाहर नगर, श्रीगंगानगर, संबंध सेशन केस
सीआईएस संख्या 115/2025 अंतर्गत धारा 303(2),
317(4),61(2) (a) बीएनएस एक्ट , तारीख पेशी
13.03.2026

प्रतिनिधित्व-

1.श्री मुकेश देहदान, अधिवक्ता/प्रार्थी/अभियुक्त

2.अपर लोक अभियोजक- राज्य की ओर से।

न्यायालय द्वारा:-

-:: आदेश ::-

दिनांक- 12.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार की ओर से जमानत का यह द्वितीय प्रार्थना पत्र
उसके अधिवक्ता ने दिनांक 09.03.2026 को पेश किया। नकल अपर लोक अभियोजक
को दिलाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 06.07.2025 को परिवादी अनमोल सिंह
ने पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट
इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 05.07.2025 को प्रातः लगभग 05.15 बजे
इसकी कार पंजीयन संख्या RJ 8C 4187 है, इसके निवास स्थान से चोरी हो गई है।
घटना के समय इसकी माता कमलजीतकौर को घर के बाहर कुछ गिरने एवं टूटने जैसी



आवाज सुनाई दी, जिस पर उन्होंने बाहर देखा तो दो युवक इसकी कार में बैठकर कार को रिवर्स गीयर में पीछे ले जा रहे थे, इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 381/2025 पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर में संस्थित होकर आवश्यक अनुसंधान के उपरांत मामले में आरोप पत्र प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 317(4), 61(2) (a) बीएनएस एक्ट सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय श्रीगंगानगर में कमिट किया गया , जहां से उक्त प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है जिसमें बहस चार्ज सुनी जाकर प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 303(2), 317(4), 61(2) (a) बीएनएस एक्ट के आरोप दिनांक 21.02.2026 को विरचित कर सुनाये जा चुके हैं। एवं प्रकरण लगाए जाने आरोप शेष अभियुक्तगण हेतु नियत है। जमानत आवेदन पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अन्य अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में माननीय सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर से हो चुकी है। अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत पर आजाद किया जावे।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर प्रार्थी की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि निम्न है-

क्र० सं०	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	अंतर्गत धारा	आरक्षी केन्द्र	वर्तमान स्थिति
1	86/2021	379,411,473 भारतीय दंड संहिता	MALOUT CITY	
2.	40/2021	379 भारतीय दंड संहिता	MANSA	..
3	102/2022	379,411 भारतीय दंड संहिता	MALOUT CITY	..
4	289/2022	379,411 भारतीय दंड संहिता	MALOUT CITY	..
5	123/2022	379,411 भारतीय दंड संहिता	KABARWALA	..
6	77/2022	379 भारतीय दंड संहिता	LAMBI	..
7	125/2024	303(2) 317(2) बीएनएस एक्ट	MALOUT CITY	..
8	81/2024	303(2) बीएनएस एक्ट	ABOHAR	..



9	469/2025	303(2) 61 (2)(a) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
10	518/2025	121,132, 3(5) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
11	315/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
12	415/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
13	338/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
14	281/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
15	267/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	PURANI ABADI, SGNR	लंबित
16	270/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	PURANI ABADI, SGNR	लंबित
17	381/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित
18	310/2025	303(2) बीएनएस एक्ट	JAWAHAR NAGAR , SGNR	लंबित

06. इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 303(2), 317(4), 61(2) (a) बीएनएस एक्ट के अपराधों का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकार्ड का यदि अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित सभी प्रकरण चोरी के ही पूर्व में दर्ज हुए हैं, चोरी के अभ्यस्त ऐसी अभियुक्त को यदि न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं करेगा एवं इससे आम आदमी की सुरक्षा के साथ खिलवाड होगा। पुलिस प्रशासन के लिए यह भी यह संभव नहीं है कि हर गली में पुलिस खड़ी रखी जा सके। आम आदमी अपने वाहन/गाड़ी अपने घर के बाहर ही खड़ा करता है। हालांकि प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण की जमानत अवश्य हुई है, लेकिन इससे यह आधार नहीं बन जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को भी जमानत का लाभ दिया जावे। यद्यपि अन्य पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्य अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया गया है, लेकिन हस्तगत प्रार्थी/अभियुक्त के क्रिया कलापों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया तो उसके विरुद्ध पूर्व में कुल 18 प्रकरण दर्ज/विचाराधीन है जिनमें सभी प्रकरण मुख्यतया चोरी के ही हैं, इसलिए इन मुकदमों से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि अभियुक्त अभ्यस्त एवं आदतन अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत मिलते ही अन्य अपराध करेगा, यह पूर्व की स्थिति को देखते हुए प्रतीत हो रहा है। किसी भी अपराधी को



जमानत का लाभ इसलिए दिया जाता है कि उस अपराधी को सुधरने का अवसर मिले व वह अन्य अपराध नहीं करे। लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है। आजकल चोरी की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है एवं आमजन इन चोरी की घटनाओं से काफी परेशान है। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में बहस चार्ज सुनकर प्रार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों के आरोप न्यायालय द्वारा सुनाये गये हैं एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्ज लगना अभी बाकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मात्र चार्ज लगने से प्रकरण की नोइयत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

07. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित अन्य प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को इस स्टेज पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

08. **निष्कर्षतः** प्रार्थी/अभियुक्त अजय कुमार पुत्र शंकरदास उम्र 22 साल निवासी वार्ड संख्या 2, गली नंबर 02 वाल्मीकि मोहल्ला नजदीक नागपाल नगरी मलोट, जिला मुक्तसर साहिब पंजाब की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बीएनएसएस एक्ट अस्वीकार कर **खारिज** किया जाता है।

(रमेश कुमार जोशी)

09. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश कुमार जोशी)